प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.06.2025

थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा चोरी के 300 मीटर 11 KV भूमिगत बिजली केबल (तार) बरामद करते हुए 03 अंतर्राज्यीय चोर को किया गया गिरफ्तार।

बरामद कुल भूमिगत बिजली केबल (तार) की अनुमानित कीमत-04 लाख सत्तर हजार रुपए

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया, पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी श्री वैभव कृष्ण द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में व पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद में हो रही चोरी की घटनाओं पर रोकथाम व चोरी की घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर राजीव सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय गगनराज सिंह मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-296/2025 धारा 305 (e) BNS से सम्बन्धित भूमिगत बिजली केबल (तार) जिसको कुछ चोर ले जाकर औद्योगिक नगर क्षेत्र के ताहिरपुर गांव में रखे है।

इस सूचना पर थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा औद्योगिक नगर क्षेत्र के ताहिरपुर गांव से एक स्थान पर रखे हुए भूमिगत बिजली केबल(तार) ,एक सफेद रंग की स्कार्पियो को बरामद करते हुए 03 शातिर अन्तर्राज्यीय अभियुक्तो को गिरफ्तार गिया गया।

अपराध का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.05.2025 को रात्रि करीब 11.00 से 12.00 बजे के बीच 07 अभियुक्ततों द्वारा ठेकेदार बनकर औद्योगिक नगर टेंगरा मोड व रामनगर में चलने वाले एक हाइड्रा न० UP65BT8105 व एक डीसीएम न० UP65BT4690 को किराए पर लेकर गणपति अपार्टमेंट के सामने ग्राम कटेसर से कुल 01 किमी का तार चुराया था। जिसके सम्बन्ध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-296/2025 धारा 305 (e) BNS थाना स्थानीय पर पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित की गयी।

पूछताछ का विवरण- पुछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया की यह भूमिगत बिजली केबल(तार) जिसको हम लोग गणपति अपार्टमेंट के सामने ग्राम कटेसर से दिनांक 24.05.2025 को रात्रि करीब 11.00 से 12.00 बजे के बीच ठेकेदार बनकर 01 किलोमीटर का तार चोरी किए थे। जिसकी अनुमानित कीमत 14 लाख रुपए है।जिसको हमने फर्जी बिल्टी के आधार पर बिहार बेचना चाहते थे।

जिसमें से 700 मीटर का ऑर्डर मिला था तो जिसे हम लोगो ने 700 मीटर चोरी के तार को बिहार ले जाकर बेच चुके है

गिरफ्तार अभियुक्त -

1.नवीन कुमार शर्मा उर्फ प्रकाश उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र रघुनाथ शर्मा निवासी ग्राम रीठ थाना एकमा जिला सारण बिहार।
2.राजू कुमार उम्र करीब 44 वर्ष पुत्र विंदा चौधरी निवासी ग्राम घोसौत थाना सिवाई पट्टी जिला मुजफ्फरपुर बिहार।
3.मोहित कुमार राम उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र जनक राम निवासी ग्राम छितरौलिया थाना एकमा जिला सारण बिहार।

बरामदगी विवरण-

300 मीटर भूमिगत बिजली केबल (तार)

01 स्कोर्पियो वाहन

01 फर्जी बिल्टी

01 एक हाइड्रा न० UP65BT8105

01 डीसीएम न० UP65BT4690

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1.296/2025 धारा 305 (e) BNS थाना मुगलसराय चन्दौली।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम मुगलसराय-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 अभिषेक शुक्ला चौकी प्रभारी जलीलपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

3.उ0नि0 मनोज तिवारी चौकी प्रभारी कस्बा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

4.हे0का0 अरविंद यादव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

5.हे0का0 अतुल कुमार सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

6.हे0का0 प्रमोद सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

7.हे0का गौरव सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

8.का0 विवेक यादव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

9.का0 बंटी सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

10.हे0 का0 मन्टू कुमार सिह सर्विलांस जनपद चन्दौली